| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

25.3.17

## न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

~~विविध~~ जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 119/2014–15

मो0 इस्लामुद्दीन, पिता–स्व0 अलाउद्दीन मियाँ, सा0–बाड़ीलतराहा, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया – आवेदक

**बनाम**

1. मो0 अजहर हुसैन, पे0–तसदुक हुसैन, मदरसा मकसुदुल उलुम अमातीया नजामीया उर्स अलीया रामपुर, सा0–रामपुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया
2. अमजद हुसैन, पे0–अहमद हुसैन, सा0–रामपुर, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया – विपक्षीगण

# आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक इस्लामुद्दीन, पिता–स्व0 अलाउद्दीन मियाँ, सा0–बाड़ीलतराहा, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया की ओर से निम्न विवरण की भूमि का बिहार नामान्तरण अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत अवैध रूप से दर्ज जमाबंदी सं0 62 को रद्द करने हेतु दाखिल किया गया। जिसे आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् दिनांक 20.2.2015 को प्रविष्ट किया गया तथा पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई।

**वादग्रस्त भूमि का विवरण**

| मौजा | थाना नं0 | खाता | खेसरा | कुल रकवा | जमाबंदी सं0 |
|---|---|---|---|---|---|
| बाड़ीलतराहा | – | 9 | 94<br>98 | 0.56 डी0<br>0.59 डी0 | 62 |

विपक्षी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

आवेदक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पिता अलाउद्दीन मियाँ, पिता–अनुप मियाँ के नाम से अन्य भूमि के साथ 1956 में आर0एस0 खतियान बना। खाता सं0 9 के अनुसार जमाबंदी भी 9 दर्ज हुआ। वर्ष 2009 तक लगान रसीद कटता रहा। उसके बाद रसीद कटाने गये तो कर्मचारी द्वारा बताया गया कि एक हीं जमीन का दो जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। जमाबंदी सुधार कराने का सुझाव कर्मचारी द्वारा दिया गया। जबकि उनके पिता और न ही उनके अन्य फरीकदार और न हीं अपीलकर्त्ता द्वारा जमीन का हस्तांतरण किया गया

है। तत्पश्चात जमाबंदी चालू रखने हेतु एक आवेदन अंचल अधिकारी, रानीगंज के समक्ष दाखिल किये तो वे अभिलेख खोलकर अभिलेख सं0 03/2013–14 में आदेश पारित किया गया कि नामान्तरण वाद सं0 4/95–96 का उल्लेख करते हुए विपक्षी के गलत जमाबंदी सं0 62 को गलत नामान्तरण वाद सं0 के आधार पर कायम बतलाया गया, फिर भी उसे सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द किये जाने के उल्लेख के साथ वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दी गई।

इनका यह भी कहना है कि इनका नामान्तरण एवं जमाबंदी सं0 9 रद्द नहीं हुआ है, वो अभी भी कायम है। उक्त जमाबंदी के रिविजनल सर्वे 1958 ई0 के वाद से लगातार वर्ष 2008–09 तक का रसीद उनके पिता के नाम से कटता रहा है। जमीन पर सर्वे से अबतक लगातार खतियानधारी अलाउद्दीन मियाँ के बाद उनके लड़के इस्लामुद्दीन (आवेदक) का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। विज्ञ अंचलाधिकारी के द्वारा भी स्वयं स्थल जाँच किया गया है और पाया गया है कि वाद जमीन पर कोई मदरसा नहीं है। विपक्षी सं0 2 के द्वारा विपक्षी सं0 1 को बिना निबंधित वक्फनामा कर दिया गया और गलत नामांतरण वाद सं0 4/95–96 के आधार पर जमाबंदी सं0 62 दर्ज कर लगान रसीद निर्गत कर दिया गया। जबकि उक्त नामान्तरण वाद सं0 4/95–96 मौजा–हाँसा से संबंधित जमीन श्री नन्दकिशोर झा, पे0–श्यामल किशोर झा के नामान्तरण से संबंधित है। अर्थात विपक्षी सं0 2 अमजद हुसैन के पिता अहमद हुसैन के नाम केवाला एवं नामान्तरण दोनों फर्जी है।

अतएव आवेदक के दर्ज जमाबंदी सं0 9 को पुनः चालू करने और विपक्षी सं0 1 के दर्ज जमाबंदी सं0 62 को रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि खतियानी रैयत अलाउद्दीन से निबंधित दस्तावेज सं0 2441, दिनांक 04.05.1954 द्वारा क्रेता शेख अहमद हुसैन, पिता–कबीर अहमद, सा0–रामपुर को प्राप्त है। क्रेता अहमद हुसैन ने प्रश्नगत भूमि अपने पुत्र अमजद हुसैन, पिता–अहमद हुसैन को निबंधित दान पत्र सं0 2586, दिनांक 25.3.1972 द्वारा दान कर दिया गया। अहमद हुसैन ने प्रश्नगत भूमि को निबंधित डीड सं0 13473, दिनांक 5.11.1977 द्वारा 'मदरसा मकसुदुल उलुम अनामिया नजाकिया उर्स अलिया' रामपुर के नाम वक्फनामा बनाकर दान कर दिया गया, जिसपर मदरसा है। खतियानी रैयत अलाउद्दीन मियाँ के नाम जमाबंदी सं0 9 दर्ज है तथा उसी जमाबंदी से अहमद हुसैन के नाम जमाबंदी सं0 48 कायम हुई। अहमद हुसैन के पुत्र अमजद हुसैन द्वारा प्रश्नगत भूमि मदरसा को दान दी गई, जिसमें जमाबंदी सं0 48 से मदरसा के नाम जमाबंदी सं0 62 दर्ज विधिवत दर्ज हुआ, इस प्रकार जमाबंदी सं0 9 से जमाबंदी सं0 62 विधिवत कायम है और लगान रसीद वर्ष 2013–14 तक भुगतान किया गया है।

अतः विपक्षी सं0 1 का दर्ज जमाबंदी विधिवत कायम है जो बिहार दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्वाहन योग्य नहीं है। अतएव आवेदक के

आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, संलग्न साक्ष्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान आवेदक के पिता अलाउद्दीन मियाँ, पिता–अनुप मियाँ के नाम से दर्ज है। सर्वे पूर्व आवेदक के पिता द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज सं0 2441, दिनांक 4.5.1954 द्वारा क्रेता अहमद हुसैन एवं अन्य को भूमि बिक्री कर दी गई। विक्रेता अलाउद्दीन के नाम से मूल जमाबंदी सं0 9 दर्ज थी, जो अबतक चालू है। क्रेता अहमद हुसैन को किस वाद एवं वर्ष में जमाबंदी सं0 48 दर्ज हुई, इसका कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। साथ हीं अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि जमाबंदी सं0 48 बिना नामान्तरण वाद के तत्कालीन हल्का कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से दर्ज किया गया है। पुनः विक्रेता अहमद हुसैन ने प्रश्नगत भूमि अपने पुत्र अमजद हुसैन को दान पत्र सं0 2586, दिनांक 25.3.1972 द्वारा दान पत्र कर दिया गया और दान प्राप्तकर्त्ता अमजद हुसैन द्वारा प्रश्नगत भूमि को वक्फनामा द्वारा मदरसा मकसुदुल ओलूम अमानियाँ नजामियाँ आलिया, मौजा–रामपुर बजरिये मौलवी–मु0 अजहर हुसैन, पिता–शे0 तसदूक हुसैन, सा0–रामपुर के नाम कर दिया गया, जो वक्फनामा निबंधित नहीं है। उक्त वक्फनामा के आधार पर नामान्तरण वाद सं0 4/95–96 के द्वारा नामान्तरण होकर मदरसा के नाम जमाबंदी सं0 62 दर्ज हुआ और लगान रसीद वर्ष 2013–14 तक भुगतान किया गया है।

अभिलेख के साथ संलग्न मूल नामान्तरण वाद सं0 4/95–96 एवं 5/95–96 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण वाद सं0 4/95–96 बेचन सिंह, पिता–अरी सिंह, सा0–हाँसा, मौजा–हाँसा के भूमि से संबंधित है, जो मदरसा के नाम किये गये वफनामा के भूमि से सर्वथा भिन्न है। जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन् राजस्व कर्मचारी द्वारा गलत नामान्तरण वाद दर्ज कर मदरसा के नाम जमाबंदी सं0 62 दर्ज किया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा अपनी अनुशंसा में यह भी दर्शाया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर कोई मदरसा अवस्थित नहीं है। वर्त्तमान में भूमि परती है।

अतः उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का दो–दो जमाबंदी सं0 9 एवं 62 दर्ज होने के कारण भूमि पर विवाद की समस्या होने की पूर्ण सम्भावना बनती है तथा तत्कालीन हल्का कर्मचारी द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के तथा गलत नामान्तरण वाद सं0 दर्ज कर जमाबंदी सं0 62 दर्ज किया गया है, जिसे रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रानीगंज को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 26 / रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 25 / 03 / 2017
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को नामान्तरण वाद सं0 4/95–96 (बेचन सिंह, सा0–हाँसा) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कृ०नू० जमाबंदी सुधार वाद सं० 03/2013-14
(1) मूल में
(2) नामान्तरण वाद सं० 04/95-96 मूल में
(3) नामान्तरण वाद सं० 05/95-96 मूल में।

25.3.17

अपर समाहर्त्ता,
अररिया